संख्या- 8/2026/I/1297345/2026/46-1002(002)/1/2025

प्रेषक,

सी.इन्दुमती
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 **लखनऊ दिनांक 15 अप्रैल, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये अनुदान संख्या-023 के अन्तर्गत **'क्षेत्रीय कार्यालय'** हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-547/लेखा-बजट/201/2026-27, दिनांक 30.03.2026 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-023 गन्ना विकास विभाग(गन्ना) राजस्व लेखा के अर्न्तगत **'क्षेत्रीय कार्यालय'** के वेतन एवं अन्य वचनबद्ध व्ययो हेतु प्राविधानित धनराशि **रू.1570.40 लाख (रू. पन्द्रह करोड़ सत्तर लाख चालीस हजार मात्र)** का निम्न विवरण के अनुसार आहरित करने एवं आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये मे)

क्रमांक	**2401-फसल कृषि कर्म** **001-निदेशन तथा प्रशासन** **04-क्षेत्रीय कार्यालय**	**प्राविधानित धनराशि (लाख रूपयों में)**	**वित्तीय स्वीकृति हेतु मांग (लाख रूपयों में)**
1	01-वेतन	850.00	850.00
2	03-महँगाई भत्ता	552.50	552.50
3	04-यात्रा व्यय	6.00	6.00
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	4.00	4.00
5	06-अन्य भत्ते	1.00	1.00
6	07-मानदेय	0.20	0.20
7	08-कार्यालय व्यय	4.00	4.00
8	10-जलकर/जलप्रभार	1.00	1.00
9	11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	3.50	3.50
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.00	4.00
11	13-टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
12	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	9.00	9.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	आदि की खरीद		
13	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1.50	1.50
14	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	15.00	15.00
15	42-अन्य व्यय	15.00	15.00
16	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.60	0.60
17	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.60	0.60
18	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	7.00	7.00
19	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	3.00	3.00
20	49-चिकित्सा व्यय	20.00	20.00
21	51-वर्दी व्यय	0.50	0.50
22	55-मकान किराया भत्ता	70.00	70.00
	2401-00-001-04-00) योग	**1570.40**	**1570.40**

(रू. पन्द्रह करोड़ सत्तर लाख चालीस हजार मात्र)

शर्तें एवं प्रतिबन्ध–

(1) उल्लेखनीय है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के **कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च 2026** द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट में प्रावधानित धनराशि (मतदेय/भारित) के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी किये जाने के संबंध में प्रस्तर-2(5) में निम्न दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है:-

" जिन मामलों में राज्य द्वारा अनुदानित संस्थाओं के वेतन व भत्ते के भुगतान का दायित्व राज्य सरकार पर है, उनके लिए व्यय की मानक मद "31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के अन्तर्गत बजट प्रावधान से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियॉ सुसंगत नियमों व स्थाई आदेशों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी। यदि संस्थाओं के पास विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृतियॉ प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी।"

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय सहायता अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के **कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च 2026** में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया ही जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त / वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों/ शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है ।

(3) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि उल्लिखित मदों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यय/मद में वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी ।

(5) धनराशि का आहरण केवन तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा। धनराशि उक्त सूची में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(6) उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन / वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) संस्था द्वारा वेतन का भुगतान वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व संस्था के निदेशक व वित्त नियंत्रक का होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्राविधानित धनराशि अनुदान के रूप में है, जिसका व्यय चीनी आयुक्त द्वारा वित्तीय एवं प्रशासकीय नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

(8) विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन कार्यों/मदों हेतु धनराशि दी जा रही है, वह धनराशि उसी प्रयोजन में व्यय की जायेगी।

(9) उपरोक्तानुसार प्राविधानित धनराशि विभागाध्यक्ष (चीनी आयुक्त) के निवर्तन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलॉटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(10) यदि किसी व्यय के लिए शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये, तो सन्दर्भित व्यय के लिए आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्षक का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाये।

(11) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी / विभागाध्यक्ष (चीनी आयुक्त) इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि तत्काल अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटित कर उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाये।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-023 गन्ना विकास विभाग(गन्ना) राजस्व लेखा के अर्न्तगत **लेखाशीर्षक "2401-फसल कृषि कर्म' 001-निदेशन तथा प्रशासन 04-क्षेत्रीय कार्यालय"** के अर्न्तगत उपरोक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित संगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त वित्तीय स्वीकृति कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के **कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च 2026** में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(सी.इन्दुमती)

विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., लखनऊ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(दो प्रतियां)
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।